**भारत सरकार**

**खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. \*24**

**दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 को उत्‍तर देने के लिए**

**पश्चिमी बंगाल स्थित खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रोत्साहन**

**\*24. श्री विवेक गुप्ता:**

**क्‍या खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी-बंगाल में खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयों को क्या-क्या प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार)**

विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

**पश्चिमी बंगाल स्थित खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रोत्साहन के बारे में राज्य सभा में दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. \*24 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

पश्चिम बंगाल समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 12वीं योजना के दौरान निम्नलिखित योजना स्कीमों को चला कर रहा हैः

(i) अवसंरचना विकास स्कीम(मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला तथा बूचड़खाने) ।

(ii) केंद्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) ।

(iii) गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, आर एंड डी तथा प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम ।

(iv) संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम ।

 इन योजना स्कीमों के अंतर्गत, देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 12वीं योजना के दौरान राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्र सरकारों के माध्यम से केंद्र प्रायोजित स्कीम–राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) को शुरू करने की एक अति महत्वपूर्ण पहल की गई है । एनएमएफपी का मूल उद्देश्य स्कीमों के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण करना है; जिससे राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्र सरकारों की पर्याप्त भागीदारी होगी । मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आवेदन प्राप्त करने, पात्र लाभार्थियों को अनुदान सहायता की मंजूरी देने और जारी करने का अधिकार दिया गया है । स्थानीय रूप से उगाई गई कच्ची सामग्री उपयोग करके मूल्यवृद्धि की क्षमता का लाभ प्राप्त उठाने हेतु राज्य सरकारों को लाभार्थियों तथा परियोजना स्थल के चयन का अधिकार है । एनएमएफपी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान राज्य-वार आवंटन तथा जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है ।

 इसके अलावा, भारत सरकार पश्चिम बंगाल समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विभिन्न कर प्रोत्साहन देती है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा **संलग्नक-II** पर दिया गया है ।

\*\*\*\*\*\*

**संलग्‍नक-I**

**पश्चिमी बंगाल स्थित खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रोत्साहन के बारे में राज्य सभा में दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.\*24 के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक ।**

**वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 (30.11.2013 तक) के दौरान एनएमएफपी के कार्यान्‍वयन के लिए भारत सरकार द्वारा राज्‍य/ संघ राज्‍य क्षेत्र-वार निधियों का आबंटन तथा राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों को जारी की गई अनुदान-सहायता की राशि को दर्शाने वाला विवरण ।**

**(क) राज्‍य:**

 **(करोड़ रुपए)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **राज्‍य** | **भारत सरकार के हिस्‍से का आबंटन** |  **भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि**  |
| **2012-13** | **2013-14** | **2012-13** | **2013-14** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 14.24 | 11.58 | 10.68 | 0.00 |
| 2 | बिहार | 11.42 | 9.07 | 8.565 | 2.29 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 7.88 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 4 | गोवा | 3.66 | 2.15 | 2.745 | 0.00 |
| 5 | गुजरात | 11.15 | 8.83 | 8.3625 | 0.00 |
| 6 | हरियाणा | 5.92 | 4.16 | 4.44 | 2.08 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 5.09 | 3.42 | 3.8175 | 0.00 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 9.00 | 6.91 | 6.75 | 0.00 |
| 9 | झारखंड | 7.09 | 5.20 | 5.3175 | 0.00 |
| 10 | कर्नाटक | 11.11 | 8.79 | 8.3325 | 3.83 |
| 11 | केरल | 6.23 | 4.44 | 4.6725 | 0.00 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 14.27 | 11.61 | 10.7025 | 0.00 |
| 13 | महाराष्ट्र | 16.51 | 13.61 | 12.3825 | 0.79 |
| 14 | ओडिशा | 9.24 | 7.12 | 6.93 | 0.00 |
| 15 | पंजाब | 6.16 | 4.37 | 4.62 | 0.00 |
| 16 | राजस्थान | 14.77 | 12.06 | 11.0775 | 0.00 |
| 17 | तमिलनाडु | 10.40 | 8.16 | 7.80 | 0.00 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 20.03 | 16.75 | 15.0225 | 0.00 |
| 19 | उत्तराखंड | 5.23 | 3.54 | 3.9225 | 0.00 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 10.60 | 8.33 | 10.82 | 0.00 |
| **कुल** | **200.00** | **156.00** | **152.87** | **8.99** |

**(ख) पूर्वोत्‍तर राज्‍य:**

 **(करोड़ रुपए)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **राज्‍य**  | **भारत सरकार के हिस्‍से का आबंटन** | **भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि** |
| **2012-13** | **2013-14** | **2012-13** | **2013-14** |
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 4.20 | 2.70 | 3.15 | 0.00 |
| 2 | असम | 5.47 | 3.97 | 4.1025 | 0.00 |
| 3 | मणिपुर | 3.79 | 2.29 | 2.8425 | 0.00 |
| 4 | मेघालय | 3.80 | 2.30 | 2.85 | 0.00 |
| 5 | मिजोरम | 3.71 | 2.21 | 2.7825 | 0.00 |
| 6 | नागालैंड | 3.71 | 2.21 | 2.7825 | 0.00 |
| 7 | सिक्किम | 3.58 | 2.08 | 3.06 | 0.00 |
| 8 | त्रिपुरा | 3.74 | 2.24 | 2.805 | 0.00 |
|  | **कुल** | **32.00** | **20.00** | **24.375** | **0.00** |

**(ग) संघ राज्‍य क्षेत्र:**

 **(करोड़ रुपए)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **संघ राज्य क्षेत्र** | **भारत सरकार के हिस्‍से का आबंटन** | **भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि** |
| **2012-13** | **2013-14** | **2012-13** | **2013-14** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह  | 2.64 | 1.77 | 1.98 | 0.00 |
| 2 | चंडीगढ़\* | 2.28 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | दादरा और नगर हवेली\* | 2.28 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | दमन और द्वीव\* | 2.26 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | दिल्ली | 2.73 | 1.97 | 2.0475 | 0.00 |
| 6 | लक्षद्वीप | 2.25 | 1.01 | 1.6875 | 0.00 |
| 7 | पुदुच्चेरी | 2.30 | 1.11 | 1.725 | 0.00 |
|  | **कुल** | **16.74** | **9.00** | **7.44** | **0.00** |

\*जिन संघ राज्य क्षेत्रों ने तैयारी कार्यों/अग्रिम कार्य तथा एनएमएफपी की मुख्य स्कीम के लिए निधियां प्राप्त नहीं की हैं ।

**एनएमएफपी के अंतर्गत जारी निधियों का सार:**

1. **वर्ष 2012-13 के दौरान = रुपए 184.685 करोड़ (रुपए 152.87 करोड़+ रुपए 24.375 करोड़ रुपए+ 7.44 करोड़)**
2. **वर्ष 2013-14 के दौरान = रुपए 8.99 करोड़**

\*\*\*\*\*\*

**सलंग्नक-II**

**पश्चिमी बंगाल स्थित खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रोत्साहन के बारे में राज्य सभा में दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. \*24 के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक ।**

**पश्चिम बंगाल समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कर प्रोत्साहनों को दर्शाने वाला विवरण ।**

**1. आयकरः**

**1.1 खर्च की कटौतीः** पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए निवेश के लिए निम्नलिखित व्यापार हेतु तथा इसके प्रचालन से पूर्व प्रोत्साहन दिए जाते हैं:

1.1.1 व्यापार में 100% कटौती मान्य हैं:

(क) शीतश्रृंखला सुविधा की स्थापना तथा प्रचालन ।

(ख) कृषि उत्पाद के भंडारण हेतु माल गोदाम की स्थापना तथा प्रचालन ।

1.1.2 व्यापार में 150% कटौती मान्य हैं: (बशर्ते कि करदाता ने अपना व्यापार 01.04.2012 को अथवा उसके पश्चात शुरू किया हो):

 (क) मधुमक्खी-पालन तथा शहद एवं बी-वैक्स का उत्पादन ।

(ख) चीनी के भंडारण हेतु माल गोदाम सुविधा की स्थापना तथा प्रचालन ।

**1.2 लाभ में से कर की कटौती:** यह कर प्रोत्साह प्रचालन के प्रथम 5 वर्षों के लिए 100% की दर से कर में छूट के रूप में उपलब्ध है । 5 वर्षों के बाद, यह लाभ के 25% की दर से दिया जाता है । तथापि, कंपनी के मामलों में, प्रचालन के 5 वर्षों के पश्चात कर की दर लाभ का 30% है । यह लाभ केवल 10 वर्षों के लिए उपलब्ध है बशर्ते कि व्यापार 01.04.2001 से शुरू किया गया हो । यह प्रोत्साहन फलों अथवा सब्जियों, मांस तथा मांस उत्पादों, पॉल्ट्री, समुद्री अथवा डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा पैकिंग के व्यापार में नई यूनिटों के लिए उपलब्ध कराया जाता है । फिर भी, मांस, मांस उत्पादों, पॉल्ट्री, समुद्री अथवा डेयरी उत्पादों से संबंधित व्यापार के मामले में, उपर्युक्त प्रोत्साहन केवल उन यूनिटों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपना उत्पादन 01.04.2009 के पश्चात शुरू किया है ।

**2. सेवा-करः**

 **2.1. नकारात्मक सूचीः** नकारात्मक सूची में शामिल मदों पर सेवा-कर नहीं लगाया जा सकता है । ये सेवाएं टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिंगेटिंग, क्योरिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, कूलिंग अथवा भारी मात्रा में पैकिंग समेत कृषि फार्म पर अपनाई गई प्रक्रियाएं हैं तथा ऐसे प्रचालन जो कृषि उत्पाद की मूल विशेषताओं को नहीं बदलते परंतु केवल प्राथमिक बाजार के लिए विपणन योग्य बनाते हैं ।

**2.2. छूट प्राप्त श्रेणीः** निम्नलिखित सेवाओं के लिए सेवा-कर में छूट मान्य हैः

(i) ऐसे उद्देश्यों के लिए शीत-भंडारों समेत कृषि उत्पाद हेतु फसलोत्तर भंडारण अवसंरचना से संबंधित मौलिक सुविधाओं का निर्माण, उत्थापन, प्रचालन अथवा स्थापना ।

(ii)एल्कोहॉलिक पेय-पदार्थों को छोड़कर खाद्य पदार्थों के रूप में कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण करने वाली यूनिटों के लिए मशीनीकृत खाद्यान्न हैंडलिंग प्रणाली, मशीनरी अथवा उपकरण; तथा

(iii)फलों, सब्जियों, अंडों, दुग्ध, खाद्यान्नों अथवा दालों के परिवहन द्वारा माल परिवहन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गईं सेवाएं ।

(iv)कृषि उत्पादों की लोडिंग, अन-लोडिंग, पैकिंग, भंडारण अथवा वेअरहाउसिंग की सेवाएं ।

**3. सीमा-शुल्कः**

3.1 सरकार ने निम्नलिखित परियोजना आयात लाभ उपलब्ध कराए हैं:

(i) मशीनीकृत खाद्यान्न संचलन प्रणालियों के अधिष्ठापन परियोजनाओं तथा मंडियों में पैलेट रैकिग प्रणालियों और खाद्यान्न तथा चीनी के लिए माल-गोदामों को ।

(ii) शीत-भंडार, शीत-कक्ष (खेत स्तर पर प्री-कूलिंग समेत) अथवा कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, दुग्ध, पॉल्ट्री, जलीय तथा समुद्री उत्पाद और मांस के परिरक्षण, भंडारण अथवा प्रसंस्करण करने वाली औद्योगिक परियोजनाएं ।

परिणामस्वरुप, परियोजना के भाग के रूप में आयातित खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी वस्तुएँ यथा लागू सीवीडी सहित 5% के रियायती सीमा शुल्क की एक समान आकलन की हकदार होंगी चाहे उनका टैरिफ वर्गीकरण कुछ भी हो ।

3.2 हैजलनट्स पर सीमा-शुल्क को 30% से घटाकर 10% कर दिया गया है ।

3.3 भूसी उतारी हुई जई पर सीमा-शुल्क को 30% से घटाकर 15% कर दिया गया है ।

**4. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कः**

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने समय-समय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में निम्नलिखित रियायतें दी हैं:

**4.1 खाद्य उत्पादः**

(i) दुग्ध, दुग्ध उत्पादों (अध्याय-4), सब्जियों (अध्याय-7), मेवों एवं फलों, ताजे एवं सूखे मेवों (अध्याय-8) पर शून्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क ।

(ii) प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के लिए 12% के मानक उत्पाद-शुल्क के मुकाबले, बिना केन्द्रीय वैट के 2% अथवा केन्द्रीय वैट के साथ 6% की मैरिट दर रहती है ।

(iii) सोया-दुग्ध पेय, पशुओं से प्राप्त सुगंधित दुग्ध पर भी कर बिना केन्द्रीय वैट के 2% अथवा केन्द्रीय वैट के साथ 6% की दर से होती है ।

(iv) वर्ष 2013-14 के बजट में “फैक्टरी के अंदर उत्पादित और उपयोग की गई कसावा स्टार्च तथा कसावा सैगो (साबूदाना) के निर्माण और कसावा सैगो (साबूदाना) पर भी उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है ।

**4.2 खाद्य प्रसंस्करण मशीनरीः**

(i) कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, दुग्ध, पॉल्ट्री, जलीय तथा समुद्री उत्पाद और मांस के परिरक्षण, भंडारण, परिवहन अथवा प्रसंस्करण के लिए शीत-भंडार, शीत-कक्ष की स्थापना अथवा प्रशीतन वाहन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सभी प्रशीतन मशीनरी तथा पुर्जों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है ।

(ii) दुग्ध क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली पाश्चुरिंग, शुष्कन, वाष्पन आदि मशीनरी को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है ।

\*\*\*\*\*